झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

संकल्प

विषयः– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)/ अन्य ग्रामीण सड़को के अनुरक्षण हेतु नीति निर्धारण के संबंध में।**

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़क संपर्कता उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2000 से आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 व इससे अधिक की जनसंख्या वाले तथा पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 250 व इससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी बसावटों को संपर्कता प्रदान किया जा रहा है।

2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अन्तर्गत विभिन्न चरणों में कुल 10904 कि०मी० पथों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इससे अतिरिक्त ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा राज्य संपोषित योजना एवं अन्य के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कुल 21562 कि०मी० पथों का निर्माण कराया गया है। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कुल 32466 कि०मी० की लम्बाई में ग्रामीण सड़को का निर्माण कार्य करा लिया गया है और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण परिसम्पति के रूप में इन पथों का सृजन किया गया है।

3. विदित हो कि इस तरह के सृजित परिसम्पति यथा निर्मित पथों का संधारण समय समय पर नहीं करने से इनका लक्षित स्तर के रूप में उपयोग जनहित में नहीं हो पायेगा तथा इनका लगातार क्षय होता जायेगा और स्थिति यहाँ तक पहुँच जायेगी कि बड़े पैमाने पर परिसम्पति नष्ट हो जायेगी। इनके पुर्ननिर्माण में मजबूरन राज्य सरकार को अत्यधिक आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा जो जनहित एवं राज्यहित में नहीं होगा।

4. इस संबंध में विश्वस्तरीय अनुभव यह है कि रख–रखाव नहीं होने पर पथों में उत्पन्न वार्षिक क्षति की राशि रख–रखाव की लागत की राशि के प्रायः तीन गुणा से पाँच गुणा तक की होती है। रख–रखाव नहीं करने से (INDIA) में पथों का क्षय 5 से 10 प्रतिशत आकलित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इतनी महत्वपूर्ण परिसम्पति का क्षय बर्दाशत करने की स्थिति में कोई भी राज्य नहीं होगा।

5. वस्तु स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत निर्मित पथों के निर्माणोपरान्त 5 (पाँच) वर्ष तक रख–रखाव हेतु प्राक्कलन में प्रावधान है एवं तद्नुसार कार्य कराना भी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित पथों की मरम्मति निर्माण के पाँच वर्ष के बाद निविदा के माध्यम से कराया जा रहा है। पथ निर्माण के बाद पाँच वर्ष तक रख–रखाव एवं पाँच वर्ष के बाद मरम्मति हेतु लागत राशि का वहन राज्य सरकार से होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित पथों का रख–रखाव एवं मरम्मति कराया जा रहा है, परन्तु अन्य ग्रामीण पथ के रख–रखाव/मरम्मति हेतु कोई सम्यक नीति का निर्धारण राज्य स्तर पर नहीं है और न ही उक्त दिशा में यथोचित पहल भी हो पा रही है। इसके चलते ग्रामीण सड़क बहुतायत में क्षतिग्रस्त होते जा रहे है और किसी–किसी स्थिति में विलुप्तप्रायः सा भी हो रहे है। इनके पुर्ननिर्माण पर सरकार को बाध्य हो कर अत्यधिक राशि /मूल निर्माण की राशि खर्च करनी पड़ रही है। यह सर्वथा अवांछनीय एवं चिंतनीय है। यदि ससमय निर्मित पथों का रख–रखाव/मरम्मति होता रहे तो कम खर्च में परिसम्पति को बचाये रखा जा सकता है।

6. अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था International Labour Organization (ILO) के साथ मिलकर NRRDA ग्रामीण सड़को के रख–रखाव कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है। इसके लिए NRRDA नें सभी राज्यों से उनके लिए ग्रामीण सड़को के रख–रखाव हेतु नीति निर्धारण कर समर्पित करने का आग्रह किया है। **उक्त को दृष्टपथ में रखते हुए राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत झारखण्ड राज्य में ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण हेतु नीति निर्धारण का निर्णय लिया है जो अनुसूची–1 में वर्णित है।**

7. इस नीति को झारखण्ड ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2015 के नाम से जाना जायेगा। इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड में विभिन्न योजनाओं के तहत् निर्मित एवं निर्माणधीन ग्रामीण पथ होगा। इसे वित्तीय वर्ष 2015–16 से लागू किया जायेगा।

8. <u>अनुरक्षण हेतु पथों का श्रेणीकरण</u>
इस नीति के अन्तर्गत पथों का श्रेणीकरण निम्न प्रकार किया जायेगा।

8.1 <u>श्रेणी –A</u>

8.1.1 जिला मुख्यालय से अनुमण्डल मुख्यालय को जोड़ने वाला ग्रामीण पथ।

8.1.2 अनुमण्डल मुख्यालय से प्रखण्ड मुख्यालय को जोड़ने वाला ग्रामीण पथ।

8.1.3 प्रखण्ड मुख्यालय से पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाला ग्रामीण पथ।

8.1.4 रेलवे स्टेशन/मुख्य बस पड़ाव को जोड़ने वाला ग्रामीण पथ।

8.1.5 दो आर0सी0डी0 सड़को (यथा NH, SH, MDR) के बीच Link road

8.1.6 दर्शनीय स्थलो को जोड़ने वाला ग्रामीण पथ।

8.1.7 अस्पताल, एतिहासिक स्थल, महाविद्यालय एवं प्रमुख बाजार को जोड़ने वाला ग्रामीण पथ ।

8.2 **श्रेणी – B**

8.2.1 एक पंचायत मुख्यालय से दूसरे पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाला ग्रामीण पथ ।

8.2.2 Through route वाला ग्रामीण पथ।

8.3 **श्रेणी – C**

अन्य ग्रामीण पथ जो उपर्युक्त दोनो श्रेणी में शामिल नहीं है।

9. **अनुरक्षण का प्रकार**

9.1 **सामान्य मरम्मति (Routine Maintenance):** सामान्य मरम्मति के रूप में सड़क के Crust अंश में हुई क्षति यथा– patch repair, pot holes, पथ के फ्लैक, पथ में अवस्थित पुल/पुलियों एवं पथ पर लगाये गये Road Furniture आदि का अनुरक्षण कार्य।

9.2 **सावधिक रख–रखाव (Periodic Maintenance):** सड़क के सावधिक रख–रखाव (Periodic Maintenance) में सड़क के कालीकृत सतह नवीकरण (Surface Renewal) का कार्य।

9.3 **आकस्मिक रख–रखाव (Emergent Repair):** प्राकृतिक आपदा यथा–बाढ़, अतिवृष्टि एवं अन्य आकस्मिक कारणों से पथों एवं पुल/पुलियों में हुई क्षति का Short period में मरम्मति।

9.4 **विशेष मरम्मति (Special Repair):** ग्रामीण सड़को पर भारी वाहन एवं अन्य कारणों से पथों एवं पुल/पुलियों के मूल संरचना में हुई क्षति की मरम्मति कार्य।

10. **प्राथमिकता का निर्धारण**

10.1 श्रेणी– A के पथों के लिए प्रस्ताव करते समय 3 मानकों के आधार पर निम्नवत् अंक प्रदान किये जायेंगे। अंक समान होने की स्थिति मे कुल लाभान्वित जनसंख्या (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) को प्राथमिकता दी जायेगी।

10.1.1 पथों का प्रकार–(35 अंक)

श्रेणी–A में सम्मिलित पथ	अंक
जिला मुख्यालय से अनुमण्डल मुख्यालय को जोड़ने वाला ग्रामीण पथ।	35
अनुमण्डल मुख्यालय से प्रखण्ड मुख्यालय को जोड़ने वाला ग्रामीण पथ।	30
प्रखण्ड मुख्यालय से पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाला ग्रामीण पथ/ रेलवे स्टेशन / मुख्य बस पड़ाव को जोड़ने वाला ग्रामीण पथ।	25
दो आर0सी0डी0 सड़को (यथा NH, SH, MDR) के बीच Link Road	20
दर्शनीय स्थल को जोड़ने वाला ग्रामीण पथ।	15
अस्पताल, एतिहासिक स्थल, महाविद्यालय एवं प्रमुख बाजार को जोड़ने वाला ग्रामीण पथ ।	10

10.1.2 निर्मित पथ की अवधि– (35 अंक)

पथ निर्माण के पश्चात् की अवधि	अंक
10 वर्ष से अधिक अवधि	35
9 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम	30
8 वर्ष से अधिक परन्तु 9 वर्ष से कम	25
7 वर्ष से अधिक परन्तु 8 वर्ष से कम	20
6 वर्ष से अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम	15
5 वर्ष से अधिक परन्तु 6 वर्ष से कम	10
5 एवं 5 वर्ष से कम	5

10.1.3 पथ की लम्बाई–(30 अंक)

लम्बाई (कि०मी० में)	अंक
10.0 कि०मी० से अधिक लम्बा पथ	30
7.50 कि०मी० से अधिक परन्तु 10.0 कि०मी० तक लम्बा पथ	25
5.0 कि०मी० से अधिक परन्तु 7.50 कि०मी० तक लम्बा पथ	20
2.5 कि०मी० से अधिक परन्तु 5.0 कि०मी० तक लम्बा पथ	15
1.0 कि०मी० से अधिक परन्तु 2.5 कि०मी० तक लम्बा पथ	10
1.0 कि०मी० तक लम्बा पथ	5

10.2 **श्रेणी– B** के पथों के लिए प्रस्ताव करते समय 2 मानकों के आधार पर निम्नवत् अंक प्रदान किये जायेंगे। अंक समान होने की स्थिति में कुल लाभान्वित जनसंख्या (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) को प्राथमिकता दी जायेगी।

10.2.1 निर्मित पथ की अवधि– (60 अंक)

पथ निर्माण के पश्चात् की अवधि	अंक
10 वर्ष से अधिक अवधि	60
9 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम	50
8 वर्ष से अधिक परन्तु 9 वर्ष से कम	40
7 वर्ष से अधिक परन्तु 8 वर्ष से कम	30
6 वर्ष से अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम	20
5 वर्ष से अधिक परन्तु 6 वर्ष से कम	10
5 एवं 5 वर्ष से कम	05

10.2.2 पथ की लम्बाई–(40 अंक)

लम्बाई (कि०मी० में)	अंक
7.50 कि०मी० से अधिक लम्बा पथ	40
5.0 कि०मी० से अधिक परन्तु 7.50 कि०मी० तक लम्बा पथ	35
4.0 कि०मी० से अधिक परन्तु 5.0 कि०मी० तक लम्बा पथ	30
3.0 कि०मी० से अधिक परन्तु 4.0 कि०मी० तक लम्बा पथ	25
2.0 कि०मी० से अधिक परन्तु 3.0 कि०मी० तक लम्बा पथ	20
1.0 कि०मी० से अधिक परन्तु 2.0 कि०मी० तक लम्बा पथ	15
1.0 कि०मी० तक लम्बा पथ	10

10.3 **श्रेणी– C** के पथों के लिए प्रस्ताव करते समय भी **श्रेणी–B** के जैसा 2 मानकों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे। अंक समान होने की स्थिति में कुल लाभान्वित जनसंख्या (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) को प्राथमिकता दी जायेगी।

10.3.1 उपरोक्त आधार पर **श्रेणी–A, श्रेणी–B** एवं **श्रेणी–C** के लिए प्रखंडवार प्रस्तावित प्राथमिकता सूची योजना के चयन का आधार होगा।

10.3.2 जिला मुख्यालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय मुख्य हाट/बाजार/दर्शनीय/ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को जोड़ने वाले पथ के अनुरक्षण हेतु माननीय विधायक की अनुशंसा पर प्राथमिकता सूची में बदलाव किया जा सकेगा।

10.3.3 महत्वपूर्ण पथ के अनुरक्षण हेतु विभाग के द्वारा प्राथमिकता सूची में बदलाव किया जा सकेगा।

10.3.4 प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में प्रखण्डवार प्राथमिकता सूची (श्रेणी– A एवं श्रेणी– B) तैयार कर मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि अगले वर्ष की कार्य योजना दिसम्बर–माह तक तैयार किया जा सके।

11. राशि का कर्णांकण

11.1 ग्रामीण कार्य विभाग को अनुरक्षण मद में प्राप्त राशि में से सर्वप्रथम दैनन्दिन संधारण के मद में राशि कर्णान्कित की जायेगी।

11.2 शेष राशि का 50 प्रतिशत श्रेणी–A के पथों के लिए, 25 प्रतिशत श्रेणी–B के पथों के लिए एवं 15 प्रतिशत श्रेणी–C के पथों के लिए राशि कर्णान्कित की जायेगी।

11.4 प्रखण्ड के लिए राशि का कर्णाकण प्रस्तावित पथों की प्राथमिकता सूची के अधार पर प्रखण्ड एवं राज्य की कुल लम्बाई के अनुपात में किया जायेगा।

11.5 बजट उपबंध से अनुरक्षण मद में प्राप्त होने वाली राशि का 10% Emergent Repair के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।

12. इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि तक पूर्व के आदेशों के अधीन किये गये मरम्मति कार्य उसमें वर्णित प्रावधानों के आलोक में वैध माने जायेंगे।

13. यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

14. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक–1938, दिनांक–23.06.15 के क्रम में दिनांक–28.07.15 की बैठक के मद सं0–06 में दी गयी है।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची एवं सभी कार्य विभागों को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

27.8.15

(मस्त राम मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 2907 (430) दिनांकः– 28-8-15

प्रतिलिपि– महालेखकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.8.15

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 2907 (513.) दिनांकः– 28-8-15

प्रतिलिपि– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 2907 (514.) दिनांकः– 28-8-15

प्रतिलिपि– सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में कर के ई0–गजट के रूप में ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) को सूचित करेगें, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव